भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. 51/8/मीडिया/2018- ईएमएस दिनांक : 5 फरवरी, 2018

सेवा में

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : ईसीआई - ईवीएम अथवा वीवीपीएटी के संबंध में मीडिया रिपोर्टिंग के प्रति सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालयों में त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना करना।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब विभिन्न क्षेत्रीय समाचार-पत्रों, टीवी चैनलों, न्यूज़ वेब पोर्टलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में मिथ्या सूचनाएं फैलाई गई हैं और आधारहीन लांछन लगाए गए हैं, इससे न केवल निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता के बारे में अनावश्यक संदेह पैदा हुआ है बल्कि सामान्य जनता भी भ्रमित हुई है। यह भी देखने में आया है कि ऐसे मुद्दों पर आयोग की ओर से प्रतिक्रिया व्यक्त करने में काफी समय लगा है जिसके कारण ऐसे विवादों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसी अफवाहों और सुनी सुनाई बातों के कारण उत्पन्न होने वाले विवादों पर तुरंत प्रतिक्रिया देकर और समय पर तथ्य प्रस्तुत करके इन विवादों को प्रारंभ में ही रोका जा सकता है।

2. जैसा कि हम लोकसभा के अगले साधारण निर्वाचन, 2019 की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो आयोग ने एक **"त्वरित प्रतिक्रिया तन्त्र"** विकसित किए जाने की आवश्यकता महसूस की है ताकि प्रारंभ में ही मीडिया में ऐसे विद्वेषपूर्ण या गलत जानकारी दिए जाने पर उद्देश्यपूर्ण एवं समय से प्रतिक्रिया दी जा सके। इस उद्देश्य हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के लिए यह अत्यन्त महत्व की बात है कि वे एक सक्रिय संचार कार्यनीति के माध्यम से क्षेत्रीय/स्थानीय मीडिया तथा निर्वाचकों को उपयुक्त रूप से ब्रीफ करें।

3. अत:, आयोग ने निदेश दिया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस मामले में तथ्यों तथा स्पष्टीकरणों के साथ पारदर्शी रूप से और यथार्थ रूप से आगे बढ़ते हुए एवं गलत सूचना को इसकी आरंभिक अवस्था मे ही झूठा साबित करते हुए ईसीआई-ईवीएम की विश्वसनीयता और निर्वाचन प्रक्रिया पर किसी अनधिकृत और आधारहीन आक्षेप का विरोध करने के लिए एक स्पष्ट मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर आधारित व्यापक एवं बहुविध सक्रिय संचार

कार्यनीति अपनाएं। इस प्रयोजनार्थ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तत्काल निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे:

1. **त्वरित प्रतिक्रिया तन्त्र:** क्षेत्रीय समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, समाचार वेब पोर्टलों तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में प्रदर्शित किए जाने वाले ऐसे समाचारों का तत्काल विरोध करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में मानक प्रचालन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एक त्वरित प्रतिक्रिया तन्त्र की स्थापना की जाए। इस प्रयोजनार्थ एक प्रोफेशनल मीडिया फीडबैक/विश्लेषण सेवा को कार्यरत करते हुए मीडिया फीडबैक मैकेनिज्म स्थापित किया जाए जो निर्वाचन प्रक्रिया, आयोग या ईवीएम/वीवीपीएटी के बारे में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तथा समाचार वेब पोर्टलों में प्रकाशित/प्रसारित समाचारों पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को अपडेट उपलब्ध कराएगा ताकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसका रियल टाइम आधार पर यथाशीघ्र प्रतिरोध कर सकें। गलत सूचना/पूर्व नियोजित नकारात्मक प्रचार का विरोध करने के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसके साथ संलग्न इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (अब से संस्करण-2) और अद्यतित स्थिति पत्र तथा आयोग द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर जारी किए गए मार्च, 2017 के बाद के प्रेस नोटों को संदर्भित करेंगे। यदि प्रत्युत्तर तैयार करने में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता या भ्रांति है, तो उस मामले को मार्गदर्शन हेतु तत्काल आयोग के नोटिस में लाया जाए।

2. **मीडिया को ईवीएम से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा विस्तृत सुरक्षा प्रोटोकॉल वाली प्रेस विज्ञप्ति जारी करना:** निर्वाचनाधीन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ईसीआई वेबसाइट (http://eci.nic.in/eci_main1/current/FAQ.English14012017.pdf) पर उपलब्ध ईवीएम पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा ईसीआई वेबसाइट (http://eci.nic.in/eci_main1/current/status paper-EVM-pdf) पर उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (संस्करण-2) पर स्थिति पत्र में यथा उल्लिखित ईवीएम से संबंधित विस्तृत सुरक्षा प्रोटोकॉल को क्षेत्रीय/स्थानीय मीडिया को क्षेत्रीय भाषा में जारी करेंगे ताकि हितधारकों, क्षेत्रीय मीडिया एवं मतदाताओं को प्रत्येक निर्वाचन के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में आश्वस्त किया जा सके।

3. **संपादकों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बातचीत:** मुख्य निर्वाचन अधिकारी फोन तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से स्थानीय/राज्य मीडिया संगठनों के संपादकों/ब्यूरो प्रमुखों के परस्पर सम्पर्क में रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर मीडिया एवं मतदाताओं के लिए स्व प्रेरणा से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इससे मीडिया के साथ विश्वास एवं संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। गलतफहमी दूर होगी, महत्वपूर्ण तथ्यों आंकड़ों एवं सूचना का प्रसार होगा और इस प्रकार किसी विवाद को प्रारंभ में ही उत्पन्न होने से रोके जाने में मदद मिलेगी।

4. **सोशल मीडिया की उपस्थिति को बढ़ाना:** सोशल मीडिया के प्रभुत्व के इस युग में यह संस्तुति की जाती है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को सोशल मीडिया के उपयोग को वैयक्तिक स्तर जैसे फेसबुक पर प्रश्नों के उत्तर देने, ट्विटर पेरिस्कोप सेशन, इंस्टाग्राम पोस्ट आदि में बढ़ाए जाने की आवश्कयता है। इंफोग्राफिक्स, शिक्षाप्रद वाट्सएप संदेश/ईवीएम के जीवन चक्र अर्थात् इसके फैक्टरी में निर्माण से लेकर जिले में परिवहन तक गैर-निर्वाचन अवधि के दौरान भण्डारण-मतदान प्रक्रिया-जीवन चक्र के अंत में सुरक्षित निपटान आदि (क्षेत्रीय भाषा में) पर लघु वीडियो (अधिकतम 1 से 1:30 मिनट का) विकसित किए जाने के लिए सोशल मीडिया प्रोफेशनलों को परिनियोजित किया जाए और इन्हें राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को परिनियोजित किए जाने से उपर्युक्त संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा, नकारात्मक प्रचार पर रोक लगेगी और मतदाताओं के मध्य सकारात्मक सोच विकसित होगी।

यह दोहराया जाता है कि भारत में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से परिदर्शिता बढ़ाकर और ईसीआई के प्रयासों का प्रचार करके ईवीएम के विरूद्ध गलत प्रचार का शुरू में ही उपर्युक्त उपायों से सही एवं त्वरित तर्कों के आधार पर प्रतिवाद किया जा सकता है।

भवदीय,

(निखिल कुमार)
निदेशक